

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अपर सचिव-सह-उप निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत मोतीपुर।

पटना, दिनांक-03/01/2020

विषय:-

नगर पंचायत मोतीपुर में वार्ड संख्या-07 में रू0 44,54,400.00 (चौवालीस लाख चौवन हजार चार सौ रू0 मात्र) के व्यय से वेडिंग जोन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति।

प्रसंग:-


आपका पत्रांक-349 दिनांक-25.05.2019.

महाशय,

- निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि DAY-NULM योजनान्तर्गत नगर पंचायत मोतीपुर में वार्ड संख्या-07 में रू0 44,54,400.00 (चौवालीस लाख चौवन हजार चार सौ रू0 मात्र) के व्यय की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता वैशाली द्वारा प्रदान की गयी है। तदालोक में वर्णित स्थल पर वेडिंग जोन निर्माण के लिए प्राक्कलित राशि रू0 44,54,400.00 (चौवालीस लाख चौवन हजार चार सौ रू0 मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रथम किस्त @50% राशि रू0 22,27,200.00 (बाईस लाख सत्ताईस हजार दौ सौ रू0 मात्र) RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अंतिम किस्त के रूप में अवशेष राशि नगर पंचायत मोतीपुर को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी आवश्यक एवं वांछित औपचारिकता (Land owing agency से NOC सहित) पूर्ण करते हुए छह माह के अंदर नगर पंचायत मोतीपुर द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
 - कार्य का अनुश्रवण नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मोतीपुर/कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर (मोतीपुर)/कनीय अभियंता, मोतीपुर तथा PMC-NULM के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा।
 - निर्माण कार्य में मानक गुणवत्ता का पालन अवश्य किया जायेगा।
 - कार्य समाप्ति के पश्चात व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एक माह के अंदर अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
 - वेडिंग जोन निर्माण में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F. N0.K-14014/1/2013-UPA दिनांक-13.12.2013 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का पालन आवश्यक किया जायेगा।
 - योजना के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक-प्राक्कलन की संशोधित मूल प्रति।

विश्वासभाजन,



अपर सचिव-सह-उप निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।